

मास्टर परिपत्र
Master Circular

आवास वित्त HOUSING FINANCE

(30 जून 2007 तक अद्यतन)



ैंकिंग परि गालन और विकास विभाग
Department of Banking Operations and Development

भारतीय रिजर्व ैंक
Reserve Bank of India

केंद्रीय कार्यालय
Central Office
मुंबई^ई
Mumbai

मास्टर परिपत्र
आवास वित्त

विषय वस्तु

1. प्रस्तावना	3
2. प्रत्यक्ष आवास वित्त	3
3. अप्रत्यक्ष आवास वित्त	4
4. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण	7
5. रिजर्व ईंक द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किया गया	7
6. ईंक ऋण के लिए पात्रता न रखने वाली निर्माण गतिविधियाँ	7
7. स्टिपोर्ट भे जा	7
8. आवास वित्त के लिए विशेष शाखाएँ खोलना	8
9. राष्ट्रीय आवास ईंक के लिए गृ- ऋण खाता यो जा	9
10. स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए बैंक की ऋणादि गोखिम	10
11. आवास वित्त पर गोखिम भार	10
12. अनधिकृत निर्माण पर दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश	11
11. अंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में ईंकों के निवेश हेतु शर्तें	12
अनु अंध- 1	14
अनु अंध- 2	18
अनु अंध- 3	19
परिशिष्ट	22

1. प्रस्तावना

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आवास नीति का पालन करते हुए भारतीय रिजर्व औक आवास क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐकों के वित्त का उत अड़ा भाग आवास क्षेत्र को गया है। रिजर्व ऐक के वर्तमान विनियमों का मुख्य केंद्र बिंदु ऐकों के आवास ऋण संविभाग का व्यवस्थित विकास करना है।

2. प्रत्यक्ष आवास-वित्त

2.1 प्रत्यक्ष आवास-वित्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों को प्रदत्त वित्त है तथा इसके अंतर्गत स-कारी समितियों को वित्त प्रदान किया जाना भी शामिल है।

2.2 प्रतिभूति / आमानत, मार्जिन, मकान की आयु, उकौती की अवधि इत्यादि मामलों में ऐक अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से स्वयं दिशानिर्देश तैयार करने के मामले में स्वतंत्र है।

2.3 अन्य दिशानिर्देश

(i) किसी ऐसे व्यक्ति को उसी या दूसरे शा-र / गाँव में स्वयं के र-ने के लिए दूसरा मकान खरीदने / नवाने के लिए दिया गया ऐकवित्त फिसके पास प-ले से -ी शा-र / गाँव में मकान है फिसमें व-र-र-हा है।

(ii) किसी ऐसे उधारकर्ता द्वारा मकान खरीदे जाने के लिए दिया गया ऐकवित्त जो मुख्यालय से ग-र अपनी तैनाती -ो जाने के कारण या अपने नियोक्ता द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान किए जाने के कारण खरीदे जाने वाले मकान को भाड़े पर दे देना ग-ता है।

(iii) किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया ऐकवित्त जो उस पुराने मकान को खरीदना ग-ता है फिसमें व-फिल-ल किरायेदार के रूप में र-र-हा है।

(iv) भूखंड की खरीद के लिए मंगूर किया गया ऐकवित्त, शर्ते उधारकर्ता से इस आशय का घोषणापत्र प्राप्त किया जाए कि व- ऐकवित्त से अथवा अन्यथा उक्त भूखंड पर ऐकों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर मकान जाना ग-ता है।

(v) पूरक वित्त

(क) ऐक अपने द्वारा प-ले से -ी वित्तपोषित मकान /फ्लैट में परिवर्तन / परिवर्द्धन / मरम्मत का काम करने के लिए, समग्र अधिकतम सीमा के भीतर अतिरिक्त वित्त प्रदान किए जाने संभी अनुरोध पर वि जार कर सकते हैं।

(ख) फिन व्यक्तियों ने आवास के निर्माण / क्रय -तु अन्य स्रोतों से धन की व्यवस्था की है और वे पूरक वित्त ग-ते हैं, उनके मामले में, अन्य ऋणदाताओं के पक्ष में प-ले से -ी गिरवी रखी हुई संपत्ति पर समरूप या द्वितीय अंधक प्रभार प्राप्त करके और / या अपने वि जार से किसी अन्य उपयुक्त प्रतिभूति / आमानत के आधार पर ऐक पूरक वित्त प्रदान कर सकते हैं।

3. अप्रत्यक्ष आवास-वित्त

3.1 सामान्य

ैंकों को य- सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनका अप्रत्यक्ष आवास-वित्त, आवास-वित्त संस्थाओं, आवास गोर्डों, अन्य सरकारी आवास एवं सेवियों द्वारा दिया जाता है। य- भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि भूखंडों / मकानों की आपूर्ति एक निश्चित समय-सीमा के भीतर की आती है और सरकारी एवं सेवियों ैंक के ऋणों का उपयोग केवल भूमि अर्थात् करने के लिए नहीं कर रही है। उसी प्रकार, इन एवं सेवियों को आवश्यक है कि वे विकसित भूखंड स-कारी समितियों, प्रोफेशनल डेवलपर्स और व्यक्तियों को इस शर्त पर रोका जाए कि संधित भूखंडों पर एक उपयुक्त अवधि के भीतर मकान जाना लिए जाएँगे तथा य- अवधि तीन साल से अधिक नहीं जारी रखी जाएगी। इस प्रयोग ने तु, ैंक विकसित भूखंडों तथा निश्चित भवनों की आपूर्ति में वृद्धि करने के मामले में राष्ट्रीय आवास ैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का लाभ ले सकते हैं।

3.2 आवासीय मध्यवर्ती एवं सेवियों का ऋण देना

3.2.1 आवास-वित्त संस्थाओं को ऋण देना

(i) दीर्घावधिक ऋण-इक्विटी अनुपात, पिछले रिकार्ड, वसूली संधि कार्यनिष्पादन और अन्य संगत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ैंक आवास-वित्त संस्थाओं को मीयादी ऋण में जुरा कर सकते हैं।

(ii) राष्ट्रीय आवास ैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आमा, डिंगों / गांडों के निर्गम, ैंकों या वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों व अग्रिमों के रूप में आवास वित्त कंपनी द्वारा लिया गया कुल उधार उसकी निवल स्वाधिकृत निधि (अर्थात् प्रदत्त पूँजी और निर्धारित निधियों में से संकेत-निशेष, आस्थगित रा स्व व्यय तथा अगो गार आस्तियों को घटाने के बाद । जो वाले शेष) के 16 गुना से अधिक नहीं जाना आवश्यक है।

(iii) सभी आवास-वित्त कंपनियां राष्ट्रीय आवास ैंक में पंगीकृत हैं उससे पुनर्वित्त प्राप्त करने की पात्र हैं, और उनकी पात्रता राष्ट्रीय आवास ैंक की पुनर्वित्त नीति की शर्तों पर तय जाएगी। उन्हें में जुरा किए जाने वाले मीयादी ऋण की मात्रा को निवल स्वाधिकृत निधि से लिंक नहीं किया जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय आवास ैंक ने आवास-वित्त कंपनियों के अधिकतम उधार पर पंगे से जी उक्त अधिकतम सीमा की शर्त लगा रखी है। राष्ट्रीय आवास ैंक ने पुनर्वित्त प्रदान किए जाने के प्रयोग ज्ञान से जी आवास वित्त कंपनियों को अनुमोदित कर रखा है, उनकी सूची ैंक सीधे राष्ट्रीय आवास ैंक से प्राप्त कर सकते हैं या www.nhb.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

3.2.2 आवास गोर्डों और अन्य एवं सेवियों को ऋण दिया जाना

ैंक रा यस्तरीय आवास गोर्डों और अन्य सरकारी एवं सेवियों को मीयादी ऋण दे सकते हैं। लेकिन आवास-वित्त प्रणाली की स्वस्थ परंपरा विकसित करने के लिए, ऐसा करते समय ैंकों को आवश्यक है कि वे लाभग्राहकों से की गई वसूली के मामले में इन एवं सेवियों के केवल पिछले कार्यनिष्पादन पर जी न रखें, अल्कि य- शर्त भी लगा दें कि गोर्ड लाभग्राहकों से तत्परतापूर्वक और नियमित रूप से ऋणों की किस्तों की वसूली करेंगे।

3.2.3 भूमि के अधिग्र-ण के लिए वित्त प्रदान करना

देश में मकानों का स्टॉक । ने के लिए भूमि और आवासीय स्थलों की उपल धता में वृद्धि करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ऐंक भूमि अधिग्र-ण तथा भूमि को मकानों के लिए विकसित करने -तु नि गि बिल्डरोंके अलावा सरकारी ए औंसियों को वित्त प्रदान कर सकते हैं । शर्तें य- संपूर्ण परियो ना का अंग -१ इसमें मूलभूत सुविधाओं (ऐंसे ललप्रणाली, ड्रेने ।, सड़क, बि ली की व्यवस्था इत्यादि, का विकास शामिल है) ऐसा ऋण मीयादी ऋण के रूप में दिया गा सकता है । परियो ना यथाशीघ्र पूरी की आनी गा-ए तथा -र -लत में इसमें तीन साल से अधिक का समय न-हो लगना गा-ए ताकि इष्टतम परिणामों के लिए ऐंक की निधि की ते गि से रिसाइकिलिंग सुनिश्चित की गा सके । यदि परियो ना के अंतर्गत भवनों का निर्माण भी शामिल है तो उसके लिए वैयक्तिक लाभग्राहीयों को उन्हों शर्तों पर वित्त प्रदान किया जाना गा-ए गि न शर्तों पर प्रत्यक्ष वित्त प्रदान किया गया है ।

3.2.4 आवासीय मध्यवर्ती ए औंसियों को ऋण दिए जाने से संबंधित शर्तें

(i) आवास क्षेत्र को संसाधनों की उपल धता में वृद्धि करने के लिए, आवासीय मध्यवर्ती ए औंसियों द्वारा मं गए / मं गए किए जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों के लाले ऐंक इन ए औंसियों को मीयादी ऋण मं गए कर सकते हैं, इन ए औंसियों द्वारा प्रति उधारकर्ता को दिए गए ऋण का आकार गा- कुछ भी -हो । ऐसे मीयादी ऋणों की गणना ऐंकों के आवास वित्त विनियो न की लक्ष्यप्राप्ति के प्रयो न -तु की गाएगी ।

(ii) आवासीय मध्यवर्ती ए औंसियों द्वारा अनिवासी भारतीयों को मं गए किए गए / मं गए किए जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों के लाले भी ऐंक इन ए औंसियों को मीयादी ऋण मं गए कर सकते हैं । लेकिन गूँकि भारतीय रिजर्व ऐंक ने सभी आवासीय मध्यवर्ती ए औंसियों को अनिवासी भारतीयों को आवास-वित्त उपल ध कराने के प्रयो ना नार्थ प्राधिकृत न-हो किया है, इसलिए ऐंकों को य- सुनिश्चित करना गा-ए कि वे गि न आवासीय मध्यवर्ती ए औंसियों को वित्त उपल ध करा रहे हैं, वे अनिवासी भारतीयों को आवास-ऋण मं गए करने के लिए भारतीय रिजर्व ऐंक द्वारा प्राधिकृत है । लेकिन आवासीय मध्यवर्ती ए औंसियों द्वारा अनिवासी भारतीयों को ऋण दिए जाने -तु ऐंकों द्वारा इन ए औंसियों को मं गए किए गए वित्त की गणना, ऐंकों के लिए लागू आवास-वित्त के वार्षिक विनियो न की यो ना के प्रयो नार्थ आवास वित्त के रूप में न-हो की गाएगी ।

(iii) ऐंक इस जात के लिए स्वतंत्र है कि वे न्यूनतम मूल उधार दर (गिपीएलआर) का ध्यान दिए गिना आवासीय मध्यवर्ती ए औंसियों से या । दर ले सकें ।

3.3 नि गि बिल्डरों को मीयादी ऋण

3.3.1 आवास के क्षेत्र में निर्माण संबंधी सेवाएँ प्रदान करने वालों के रूप में प्रोफेशनल बिल्डरों द्वारा अदा की गयी भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए, व- भी विशेषतः उन मामलों में ।-१ रा य आवास गोड़े एवं अन्य सरकारी ए औंसियों द्वारा भूमि अधिग्रहीत और विकसित की जाती है, वाणी यक ऐंक नि गि बिल्डरों को प्रत्येक खास परियो न के लिए वाणी यक शर्तों पर ऋण उपल ध करा सकते हैं । तथापि ऐंकों को नि गि बिल्डरों को आवास परियो न के भाग के रूपमें भी भूमि अधिग्रहण के लिए निधि आधारित अथवा गैर निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं हैं । ऐंकों द्वारा नि गि बिल्डरों को दिए जाने वाले ऋणों की अवधि के मामले में कोई भी निर्णय ऐंक अपने वाणी यक विवेक के आधार पर स्वयं लें लेकिन ऐसा करते समय वे सामान्य सावधानियाँ रखें और ऋण देने से प-ले उपयुक्त प्रतिभूति/ मानत भी प्राप्त कर लें । ऐसे ऋण उन प्रतिष्ठित बिल्डरों को दिए जाने गा-ए गो निर्माण-

व्यवसाय से जुड़ी अर्ता रखने वाले व्यक्तियों को नियोगित करते हैं। आरीकी से न आर रखते हुए यह- भी सुनिश्चित किया जाना गया है कि ऐसे ऋण के किसी भी भाग का उपयोग निर्माण की सहायता के लिए नहीं किया जा सकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए भी सावधानी जरूरी जानी जायेगी कि अंतिम लाभग्राहकों से लिए जाने वाले मूल्य में सहायता का कोई भी तत्व मौजूद न हो, अर्थात् जिया जाने वाला मूल्य भूमि के दस्तावेज़ मूल्य, निर्माण की वास्तविक लागत और उपयुक्त लाभ-मार्जन पर आधारित होना जायेगा।

3.3.2 यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक, विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं से भवनों की सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) का कड़ाई से पालन करें। बैंक इस पहलू को अपनी ऋण नीतियों में शामिल करने पर विवार कर सकते हैं।

4. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण

बैंक ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए उधारों संबंधी जारी मास्टर परिपत्र देखें।

5. रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किया जाना

ऐकों द्वारा दिया गया वित्त रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र नहीं होगा।

6. बैंक ऋण के लिए पात्रता नहीं रखने वाली निर्माण गतिविधियाँ

6.1 ऐकों को नगर पालिका और पंजायत कार्यालयों सहित पूर्णतया सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों के लिए भवन निर्माण हेतु वित्त का अनुमोदन नहीं करना जायेगा, यद्यपि ऐकों को उन निर्माण कार्यों के लिए लोन देना जायेगा जिनका ना आई ऐसी संस्थाओं द्वारा पुनर्वित्त किया जाना हो।

6.2 यो कंपनी निकाय नहीं है (अर्थात् सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं यो कंपनी एकट के अंतर्गत पंजीकृत नहीं या संघित कानून के अंतर्गत स्थापित निगम नहीं हैं) ऐसे सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के भवनों के निर्माण कार्य की परियोजनाओं को ऐकों द्वारा वित्त प्रदान नहीं किया जाना जायेगा। ऊपर वर्णित कंपनियों की परियोजनाओं के मामले में भी ऐकों को इस गत से संतुष्ट होना जायेगा कि वे परियोजना वाणिज्यिक आधार पर लाई जाएगी, और लगाया जायेगा ऐक वित्त परियोजना के किसी प्रारंभिक संसाधन की पूर्ति या उसके दलाल में नहीं लगाया जाए। यद्यपि प्रारंभिक संसाधनों के लिए लोन अनुपूरक हो सकता है यदि ऐसी किसी अनुपूरकता को परियोजना के डिप्लाइन में प्राप्त लालने संकल्पित किया जाये। इस प्रकार वाणिज्यिक आधार पर लालने वाली किसी आवासीय परियोजना के मामले में तथा समाज के कम योग्य के लिए सरकार उस परियोजना को प्रोत्साहित करने में रुचि रखती हो अथवा सरकार सहित देकर या और परियोजना जानने वाले संस्थानों को पूँजी लागत के एक भाग का अंशदान करना जाती हो, ऐसे मामले में ऐकों को जायेगा कि वे सरकार से प्राप्त होने वाली पूँजी गत अंशदान /सहित राशि तथा सरकार द्वारा प्रस्तावित संसाधनों को परियोजना की कुल लागत में से घटा कर ऐक वित्त सीमित कर देना जायेगा।

6.3 ऐकों ने पूर्व में, सरकार द्वारा निर्मित राज्य पुलिस गृह-निर्माण निगम ऐसे निकायों को कर्मारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण करने के लिए सावधि ऋण में जुटाया है, जिनकी जुकौती प्रारंभिक निर्धारण से की जानी परिकल्पित थी। यह किये परियोजनाएँ वाणिज्यिक आधार पर लालने वाली नहीं मानी जा सकतीं, अतः ऐकों के लिए ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण में जुटाया जाना उत्तित नहीं होगा।

7. रिपोर्ट भे जा

7.1 औंकों को गा-ए कि वे आवास-वित्त से सं अधित छमा-टी आँकड़े अनु धं 1 के फॉर्मेट के अनुसार एकत्र करें और अपने औंक के आंतरिक निरीक्षकों / रिजर्व औंक के निरीक्षकों को उपल ध कराए गाने -तु तैयार रखें ।

7.2 आवास वित्त के संवितरण में औंकों के समष्टिस्तरीय कार्यनिष्ठादन पर न आर रखने के प्रयो गान के लिए औंकों को गा-ए कि वे आवास वित्त के रूप में संवितरित की गई राशि का तिमा-टी विवरण, सं अधित तिमा-टी समाप्त -ने के बाद 20 दिन के भीतर अनु धं 2 में दिए गए फॉर्मेट में औंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व औंक ,बल्ड ट्रेड

सेटर, कफ परेड, मुं ई - 400 005को भे ं ।

7.3 दूसरे औंकों से टेक-ओवर किए गए आवास-ऋण तिमा-टी विवरण में संवितरण के रूप में शामिल न-हों किए गाने गा-ए ।

8. आवास वित्त के लिए विशेष शाखाएँ खोलना

8.1 आवासीय सुविधाओं के विकास को दी गई प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस क्षेत्र में बो-तर व्यावसायिकता सं धी क्षमता / दक्षता प्राप्त करने के लिए कुछ केन्द्रों पर अलग से केवल आवास-वित्त सं धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शाखाएँ स्थापित करने की आवश्यकता है । इरादा य- है कि एक आवास-वित्त शाखा -र फि ले में स्थापित की गाय । लेकिन आवास के क्षेत्र में वाणि यक औंकों की बो-तर स-भागिता के लिए, नीतियों और एतद् विषयक धारणाओं को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा धीरे-धीरे किया गा सकता है ।

8.2 औंकिंग आवास-वित्त औंकों के लिए नयी अवधारणा है, इसलिए आरंभ में ऐसी विशेष शाखाएँ केवल अर्द्धश-री / श-री केन्द्रों पर ही खोली गानी गा-ए तथा किसी औंक को ऐसी कितनी शाखाएँ खोलने की अनुमति दी गाए - य-इस गात पर निर्भर करेगा कि उस औंक का आकार और विस्तार कैसा है । स्पष्ट आवश्यकता तथा सुनिश्चित लाभप्रदता की स्थिति -ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी शाखाएँ खोले गाने के अनुरोध पर वि गार किया गा सकता है । अतः औंकों को गा-ए कि वे इससे सं अधित प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नलिखित गातों का ध्यान अवश्य रखें :

8.2.1 किसी औंक की आवास-वित्त शाखा किसी ऐसे फि ले में -नी गा-ए फि समें उसका दायित्व अग्रणी औंक का है या ट-पर औंकों का अग्रणी औंक सं धी नाममात्रका दायित्व है, व-है ऐसे फि लों में ऐसी शाखा खोलें ट-है उनकी उपस्थिति यादा है ।

8.2.2 औंकों को गा-ए कि वे ऐसे म-जनगरीय केन्द्रों पर विशेष आवास-वित्त शाखाएँ न खोलें ट-है कुछ विशेष आवास-वित्त कंपनियाँ ऐसे ए डीएफसी या वाणि यक औंकों की आवास वित्तीय स-यक कंपनियाँ प-ले से ही अपनी सेवाएँ उपल ध करा रहे हैं ।

8.2.3 आवास-वित्त शाखाएँ उन क्षेत्रों में स्थापित की गानी गा-ए ट-है उसी औंक की शाखाओं की अधिकता है फि से उस क्षेत्र /स्थान की आवास-वित्त सं धी कारो गार करने के लिए नामित किया गया है ताकि विशेष शाखा में उपल ध विशेषज्ञता का उपयोग अन्य नामित शाखाओं में सेवाएँ उपल ध कराने के लिए भी किया गा सके ।

8.2.4 इस मामले में अपना प्रस्ताव तैयार करते समय औंकों को, यथासंभव, अपेक्षाकृत छोटे श-री और अर्द्ध-

श-री केन्द्रों को प्राथमिकता देनी गा-ए १-ाँ ऐसी शाखाएँ खोले जाने के लिए पर्याप्त संभाव्यताएँ उपल ध ३ ।

8.2.5 प्रस्तावों में सभी रा यों को शामिल किया जाना गा-ए ताकि आवास-वित्त शाखाएँ अधिकाधिक भूभाग में उपल ध -ो सकें ।

8.2.6 आवेदक ैंक को सं अंधित केन्द्र की घाटे में जल र-ी शाखा को प्रस्तावित आवास-वित्त शाखा में बदलने की संभावना का भी पता लगाना गा-ए। इसके अलावा, ैंकों को प्रत्येक ५ लि में अपने सामान्य ैंकिंग कार्यों के अलावा आवास वित्त के काम के लिए एक शाखा को नामित करना गा-ए।

विशेष शाखाओं में आवास-वित्त सं अंधी सुविधाओं की उपल धता का विधिवत् व्यापक प्र गार भी किया जाना गा-ए ।

8.2.7 मितव्ययिता की दृष्टि से, प्रस्तावित आवास-वित्त शाखाएँ, यथासंभव, सं अंधित ैंक के उस केन्द्र पर स्थित किसी वर्तमान परिसर में -ी जलायी जानी गा-ए ।

8.2.8 ैंक सं अंधित केन्द्र पर जल र-ी वर्तमान निर्माण सं अंधी गतिविधियों, कारो गार सं अंधी संभावित प्रगति, ऐसी परियो जाओं व निर्माण कार्यों के वित्तपोषण में उनकी स-भागिता (स-यता-समू- के रूप में या स्वयं अकेले) की रिपोर्ट भी तैयार करें।

8.2.9 विशेष आवास-वित्त शाखाओं में पदस्थापित किए जाने वाले स्टाफ को प्रशिक्षित करने का दायित्व राष्ट्रीय आवास ैंक लेगा ताकि स्टाफ को अपना कार्य संपादित करने से सं अंधित दक्षता -ासिल -ो सके ।

8.3 ैंक, अनु अंध ३ में दिए गए प्रोफॉर्मा में सू जा भे जे के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व ैंक के ैंकिंग परि गालन और विकास विभाग को उन केन्द्रों की सू जी भी भे १-ाँ वे वरीयता के क्रम से विशेष शाखाएँ खोलना जा-ते ३ ।

9. राष्ट्रीय आवास ैंक के लिए गृ-ऋण खाता यो जा

9.1 अन्य स्रोतों से लिए गए ऋणों के मो जा का निषेध

9.1.1 गृ-ऋण खाता यो जा के अंतर्गत, गृ-ऋण खाता यो जा का कोई सदस्य इस यो जा में कम से कम ५ साल तक अभिदान देने के गाद ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र -ोता ३ । इस यो जा का सदस्य जनते समय सदस्य को इस आशय की घोषणा करनी पड़ती ३ कि उसका अपना कोई मकान/फ्लैट न-ी ३ । लेकिन कोई सदस्य सामान्य या गाद पर किसी ैंक से या मित्रों और रिश्तेदारों से ऋण लेकर किसी सरकारी ए रोसी /स-कारी समिति /प्राइवेट फ्लिंडर से या किसी आवास गोड /विकास प्राधिकरण की -यर-पर बोज यो जा के गारिये मकान या फ्लैट खरीद सकता ३ । उसके गाद ११ व- सदस्य गृ-ऋण खाता यो जा के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र -ो गाएगा त ११ व- अन्य स्रोतों से प-ले लिए गए ऋणों को गुकता करने के लिए ऋण प्राप्ति -तु ैंक से संपर्क कर सकता ३ ।

9.1.2 विशेष मामले के रूप में, गृ-ऋण खाता यो ना के अंतर्गत औंक ऋणों का अन्य स्रोतों से प-ले लिए गए ऋणों को जुकता करने के लिए इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं -गी ।

9.2 गृ-ऋण खाता यो ना के अंतर्गत माओं / ऋणों का वर्गीकरण

गृ-ऋण खाता यो ना के अंतर्गत, स-भागी औंक से य- अपेक्षा की आती है कि व- राष्ट्रीय आवास औंक की ओर से माराशियाँ स्वीकार करे और राष्ट्रीय आवास औंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी भी यो ना के अंतर्गत पुनर्वित्त के रूप में इन माराशियों का उपयोग करे । स-भागी औंक इस तरीके से इस्तेमाल न की गई शेष राशि (अर्थात् पुनर्वित्त की तुलना में माराशियों का अधिक भाग) या तो राष्ट्रीय औंक को भे । देगा या अपने पास रख सकेगा परन्तु स-भागी औंक को इस मामले में सांविधिक अलनिधि संघी अपेक्षाओं का निम्नानुसार अनुपालन करना -गा :-

(i) गृ-ऋण खाता यो ना के अंतर्गत माराशियाँ आवर्ती आधार पर -ती हैं, तथा उन्हें 'मीयादी' देयताएँ माना जाना गा-ए और इन पर प्रारक्षित निधि संघी अपेक्षाओं के मामले में भारतीय रिजर्व औंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) तथा औंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की अपेक्षाओं का पालन किया जाना गा-ए एवं इन माराशियों को फार्म 'ए' की मद सं. II (ए) (ii) के अंतर्गत शामिल किया जाना गा-ए ।

(ii) राष्ट्रीय आवास औंक अधिनियम, 1987 की दूसरी अनुसू गी के खण्ड 3 द्वारा यथासंशोधित भारतीय रिजर्व औंक अधिनियम, की धारा 42 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (सी) के उपखण्ड (ii) के अनुसार 'देयताओं' के अंतर्गत, राष्ट्रीय आवास औंक से लिया गया कोई ऋण शामिल नहीं माना जाएगा । इसलिए फॉर्म 'ए' की मद संख्या II (ए) (ii) के अंतर्गत राशियों का विवरण देते समय, राष्ट्रीय आवास औंक से प्राप्त पुनर्वित्त के रूप में इस्तेमाल की गई माराशियों को गृ- ऋण खाता यो ना के अंतर्गत प्राप्त कुल माराशियों में से घटा दिया जाना गा-ए ।

10. स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए बैंक की ऋणादि गोखिम

जहां स्थावर संपदा का विकास स्वागतार्ह है, बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे यानात्मकता को लागू कर तथा ऋण अनुमोदन प्रक्रिया को मानव बनाकर अत्यधिक गोखिम वाले उधारों पर नियंत्रण रखें । बैंकों को यह सुनिश्चित करना जाहिए कि संबंधित उधारकर्ता ने, जहां कहीं आवश्यक हो, सरकार/ स्थानीय सरकारों/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से परियो जाना के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है । हालाँकि संबंधित प्रस्तावों को सामान्य रूप से मंगूर किया जा सकता है, उधारकर्ता द्वारा सरकारी प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद ही वितरण किया जाना जाहिए ।

11. आवास वित्त पर गोखिम भार

आवासीय संपत्तियों के अंधक के आधार पर व्यक्तियों को आवास ऋण देने वाले औंकों को आवासीय संपत्तियों के अंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित ऋणों पर तथा राष्ट्रीय आवास औंक द्वारा मान्यताप्राप्त तथा उसके पर्यवेक्षण में कार्य कर रही आवास वित्त कंपनियों की अंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एम गीएस) में निवेशों पर 75 प्रतिशत गोखिम भार निर्धारित करना -गा । इस तथ्य को देखते हुए कि बैंकों को समय-समय पर यह सुनिश्चित किया जाया है कि वे, विशेषकर इस क्षेत्र में, ऋण प्रदान करने में सख्ती बरतें, यह निर्णय लिया जाया है कि एक अस्थायी उपया के तौर पर एकल व्यक्तियों को

दिए आनेवाले रिहाइशी आवास ऋणों पर लगाया गया मौद्रा 75 प्रतिशत का गोखिम भार घटाकर 50 प्रतिशत किया गए। यह छूट 20 लाख रुपयों तक के ऋणों के लिए होगी और एक साल के बाद त्रुटि के अनुभव तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए इसका पुनरीक्षण किया जाएगा। उसी प्रकार, बंधक समर्थित ऐसी प्रतिभूतियों में, गो 50 प्रतिशत गोखिम भार के लिए अब पात्र आवास ऋणों द्वारा समर्थित हैं, और गो राष्ट्रीय आवास बैंकों द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियों की ओर से आरी की गई हैं, बैंकों के निवेश के लिए गोखिम भार 75 प्रतिशत से उठाकर 50 प्रतिशत किया है। अन्य सभी मामलों में य- 100 प्रतिशत -ज्ञात। तथापि, वाणि य स्थावर संपदा एक्सपोर्ट के लिए गोखिम भार को 26 जुलाई 2005 से बढ़ाकर 125 प्रतिशत किया गया है तथा 25 मई 2006 को और बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया है।

12. अनधिकृत निर्माण पर दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश

अनधिकृत निर्माण, संपत्ति का गलत उपयोग तथा सार्व अनिक भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को तत्काल अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश आरी किए हैं:

क. भवन निर्माण के लिए आवास ऋण

- i) यह मामलों में आवेदक के पास भूखंड/भूमि है और वह मकान बनवाने के लिए ऋण सुविधा हेतु बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के पास आता है तो बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को गृह के मूल्य के पहले, ऋण सुविधा के लिए आवेदन करनेवाले व्यक्ति के नाम सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्य यो आरा की एक प्रति प्राप्त करनी होगी।
- ii) ऐसी ऋण सुविधा के लिए आवेदन करनेवाले व्यक्ति से एक शपथपत्र-व-व अनपत्र प्राप्त करना होगा कि वह मूल्य यो आरा का उल्लंघन नहीं करेगा, निर्माण कार्य पूर्णतः मूल्य यो आरा के मुताबिक होगा और ऐसा निष्पादन करनेवाले की ही यह गम्भीर होगी कि निर्माणकार्य पूरा हो आरे के 3 महीने के भीतर वह पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करें। ऐसा न कर पाने पर ब्याज, लागत और अन्य प्रालित बैंक प्रभारों सहित सारा ऋण वापस मांगने का अधिकार बैंक को होगा।
- iii) बैंक द्वारा नियुक्त किसी वास्तुविद को भी भवन निर्माण के विभिन्न स्तरों पर यह प्रमाणित करना होगा कि भवन का निर्माण पूरी तरह मूल्य यो आरा के मुताबिक है तथा उसे एक विशिष्ट समय पर यह भी प्रमाणित करना होगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरी किया आनेवाला भवन संबंधी पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है।

ख. निर्मित संपत्ति/ तैयार संपत्ति की खरीद के लिए आवास ऋण

- i) यह मामलों में आवेदक तैयार मकान/फ्लैट खरीदने के लिए ऋण सुविधा हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास आता है, तो उसके लिए एक शपथपत्र-व-व अनपत्र के ज़रिए यह घोषित करना अनिवार्य होना। यहाँ तक संभव हो सके उसे पूर्णता प्रमाणपत्र भी मिल जुका है।
- ii) ऋण के वितरण के पहले, बैंक द्वारा नियुक्त किसी वास्तुविद को भी यह प्रमाणित करना होगा कि तैयार संपत्ति पूरी तरह मूल्य यो आरा के मुताबिक और/या भवन उप-विधियों के मुताबिक है।

ग. अनधिकृत कॉलोनियां

गो संपत्ति अनधिकृत कॉलोनियों की श्रेणी में आती है उनके मामले में तब तक ऋण नहीं दिया गाना गाहिए बब तक वे विनियमित नहीं की गातीं और विकास तथा अन्य प्रभार अदा नहीं किए गाते।

घ. वाणि य संपत्ति

आवासीय इस्तेमाल के लिए बनी परंतु आवेदक नियमका उपयोग वाणि य प्रयोग जन के लिए करना गाहता है और ऋण के लिए आवेदन करते समय वैसा घोषित करता है तो ऐसी संपत्तियों के मामले में भी ऋण नहीं दिया गाना गाहिए।

13. अंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में ऐकों के निवेश के लिए शर्तें

13.1 अंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में ऐकों द्वारा किए गाने वाले निवेश के सं अंध में निम्नलिखित शर्तें लागू -गंगी :-

क) प्रतिभूतिकृत आवास ऋणों तथा उसके अंतर्गत -नेवाली प्राप्तियों में आवास वित्त कंपनी का अधिकार, स्वत्वाधिकार और नियमका स्पेशल पर्फज वे-कल/न्यास के पक्ष में अटल रूप से समनुदेशित किया गाना गाए।

ख) स्पेशल पर्फज वे-कल/न्यास को गाए कि व- निवेशकों की ओर से और निवेशकों के नियमके लिए प्रतिभूतिकृत आवास ऋणों से सं अंधित अंधक रखी गयी प्रतिभूतियाँ केवल अपने पास ही रखें।

ग) स्पेशल पर्फज वे-कल /न्यास को य- अधिकार -नेवा कि व- प्रतिभूतिकृत ऋणों के अंतर्गत -नेवा वाली प्राप्तियों को, अंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूति के निर्गम की शर्तों के अनुसार निवेशकों के गी। वितरित कर सके। इसके लिए मूल आवास वित्त कंपनी को सर्विसिंग और भुगतानकर्ता ए ऐट के रूप में नियुक्त किया गाना गाए। तथापि प्रतिभूतिकरण सं अंधी लेनदेन में अलनिधि सुविधाओं के ऋणों में वृद्धि के मामले में विक्रेता, प्र अंधक, या ऋणदाता के रूप में काम करने वाली मूल आवास वित्त कंपनी पर निम्नलिखित शर्तें भी लागू -गंगी :-

i) ऐसी कंपनी स्पेशल पर्फज वे-कल में कोई शेयरपूँ गी नहीं रखेगी या आस्तियों के क्रय और प्रतिभूतिकरण के लिए वे-कल के रूप में प्रयुक्त -नेवे वाले न्यास में नियमकारी नहीं जन सकेगी। इस प्रयोग जन के लिए -र तर- की सामान्य और अधिमान शेयर पूँ गी, शेयर पूँ गी के अंतर्गत शामिल मानी गाएगी।

ii) ऐसी कंपनी स्पेशल पर्फज वे-कल का नाम इस प्रकार नहीं रखेगी नियमके य- अर्थ निकलता -नो कि व- ऐक से किसी तर- का सं अंध रखती है।

iii) 1-अंध नियेशक-मंडल का गठन कम से कम तीन सदस्यों के साथ न किया गया -ो और 1-अंध स्वतंत्र नियेशकों का अ-मत -नो, व-अंध- कंपनी स्पेशल पर्फज वे-कल के नियेशक-मंडल में अपना कोई नियेशक, अधिकारी या कर्म गारी नहीं रखेगी। इसके अलावा, ऐक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों के पास कोई निषेधाधिकार नहीं -गाए।

iv) ऐसी कंपनी स्पेशल पर्फज वे-कल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रखेगी; या

v) ऐसी कंपनी प्रतिभूतिकरण सं अंधी लेनदेन के अलते -नेवे वाले या नियेशकों को -नेवे वाले घाटे को पूरा करने के लिए कोई वित्तीय स-यता नहीं देगी या लेनदेन सं अंधी आवर्ती खो स्वयं व-न नहीं करेगी।

घ) प्रतिभूतिकृत किए गए वाले ऋण ऐसे ऋण -ने आई गो व्यक्तियों को ऐसे घर खरीदने के लिए दिए गए -ों में से एकमात्र प्रभार के रूप में किसी आवास वित्त कंपनी के पास अंधक रखा गया -ो।

ड) प्रतिभूतिकृत किए गए वाले ऋणों को किसी क्रेडिट रेटिंग ए और स्पेशल पर्फॉर्मेंस को समनुदेशन किए गए ताते समय निवेश श्रेणी की क्रेडिट रेटिंग दी -ो। वे-कल को

१) निवेशकों को यह अधिकार -ने आई कि वे ग्रूप की स्थिति में निर्गमकर्ता अर्थात् स्पेशल पर्फॉर्मेंस को वसूली के लिए कदम उठाने तथा अंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों के निर्गम की शर्तों के अनुसार निवल राशि के वितरण -तु कर सकें।

छ) अंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों के निर्गम का काम करनेवाली स्पेशल पर्फॉर्मेंस को वैयक्तिक आवास ऋणों की अंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों के निर्गम और प्रशासन के काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना आई।

१) अंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों के निर्गम का काम करने के लिए नियुक्त की गई स्पेशल पर्फॉर्मेंस वे-कल या न्यासियों को भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों की परिधि के अंतर्गत रखा गया गया आई।

13.2 अंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों का निर्गम यदि उपर्युक्त पैराग्राफ में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार -गा और उसके अंतर्गत, आवास ऋण संघी आस्तियों के गोखिम और लाभ का स्पेशल पर्फॉर्मेंस/न्यास को अटल अंतरण भी शामिल -गा तो अंधक द्वारा समर्थित ऐसी प्रतिभूतियों में किसी भौक द्वारा किया गया निवेश प्रतिभूतिकृत आवास ऋण देने वाली आवास वित्त कंपनी को उपलब्ध कराया गया वित्त नहीं माना जाएगा। तथापि उस निवेश को स्पेशल पर्फॉर्मेंस /न्यास की संधित आस्ति से संबद्ध वित्त माना जाएगा।

अनुंदि 1

मास्टर परिपत्र

आवास वित्त
(पैरा 7.1 देखें)

अनुसूचित वाणि यौंकों द्वारा 30 सितं ई /31 मार्च की
स्थिति के अनुसार 'आवास वित्त' श्रेणी के अंतर्गत मंत्र की गई वित्तीय संयता

रिज़र्व यौंक के प्रयोग -तु

--	--	--

1. यौंक का नाम		मू. सा.विव. यौंक कार्य कोड		
(लाख रु.)				

2. अखिल भारत/राज्य/संघरा य क्षेत्र		
------------------------------------	--	--

1. लाभग्र-योंको प्रत्यक्ष ऋण

(राशि लाख रुपये)

सं.	मद	छमा-री में संवितरित						छमा-री के अंत में आकाया					
		कुल		इसमें से				कुल		इसमें से			
		खाते की सं.	राशि	खाते की सं.	राशि	खाते की सं.	राशि	खाते की सं.	राशि	खाते की सं.	राशि	खाते की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	योग (11+ 12+ 13+ 14)												
	रु. 50,000 तक के ऋण की राशि												
11.	अनुसूचित आति (अ आ)/अनुसूचित न आति (अ न आ) के व्यक्ति/व्यक्ति-समू- (स-कारी आवास समितियों सि-त)												
12.	अनुसूचित आति/ अनुसूचित न आति से भिन्न व्यक्ति/व्यक्ति-समू- (स-कारी आवास समितियों सि-त)												
	रु. 50,000 से अधिक के ऋण की राशि												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	अनुसूति गति/ अनुसूति न गति के व्यक्ति/ व्यक्ति-समू- (स-कारी आवास समितियों सि-त)												
14.	अनुसूति गति/ अनुसूति न गति से भिन्न व्यक्ति/व्यक्ति- समू- (स-कारी आवास समितियों सि-त)												

**II. ए रोन्सियों /संस्थाओं के माध्यम से ऋण
दिया गाना (अप्रत्यक्ष ऋण दिया गाना)**

सं.	मद	अर्द्ध वर्ष में संवितरित		अर्द्ध वर्ष के अंत में लकाया	
		खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
20.	योग (21+22+23+24+25+26)				
21.	-डको				
22.	राय आवास लोर्ड				
23.	रायस्तरीय अन्य ए रोन्सियाँ				
24.	आवास वित्त संस्थाएँ (ए ई. डी. एफ सी. से भिन्न)				
25.	ए ई. डी. एफ सी.				
26.	अन्य				
	इसमें से अनु. गति / न गति के लिए				
30.	योग (31+32+33+34+35+36)				
31.	-डको				
32.	राय आवास लोर्ड				
33.	रायस्तरीय अन्य ए रोन्सियाँ				
34.	आवास वित्त संस्थाएँ (ए ई. डी. एफ सी. से भिन्न)				

35.	ए ।. डी. एफ सी.				
36.	अन्य				
40.	उप-योग (10+20)				
41.	उप-योग (11+13+30)				

III. गांडों / डिंडों परों में निवेश

सं.	मद	अर्द्ध वर्ष में संवितरित		अर्द्ध वर्ष के अंत में आकाया	
		खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
50	पोइ (60+70+80+90)	X		X	
	गारंटीकृत गांड / डिंडों पर	X	X	X	X
60.	राष्ट्रीय आवास ैंक	X		X	
70	-डको	X		X	
	अन्य गांड (अर्थात् फिल्म में कोई गारंटी नहीं दी गयी है।)	X	X	X	X
80.	राष्ट्रीय आवास ैंक	X		X	
90.	-डको	X		X	
100.	कुल योग (40+50)				

विवरण संकलित करने के संबंध में अनुदेश

1. य- विवरण फूलस्कैप पेपर (32 सें. मी. 21 सें. मी.) पर -ी अनुप्रस्थ (-ॉरि ॉटली) तैयार किया गाना गाँ-ए ताकि कॅम्प्यूटर द्वारा इस की प्रोसेसिंग की गा सके। इसके अलावा स्तंभ संख्याओं व मद संख्याओं में परिवर्तन नहीं किया गाना गाँ-ए।

2. लॉक I और लॉक II में अखिल भारतीय और प्रत्येक राज्य/संघराज्य क्षेत्र के अलग-अलग आँकड़े दिए गाने गाँ-ए तथा लॉक III में केवल अखिल भारतीय आँकड़े दिए गाने गाँ-ए।

3. लॉक I में दिखायी गयी राशि में आवास ऋण की व- राशि भी शामिल की गानी गाँ-ए फिल्म के लिए राष्ट्रीय आवास ैंक से पुनर्वित्त लिया गया है।

4. ैंक द्वारा अपने कर्म गारियों को दिया गया आवास ऋण आवास वित्त श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गाना गाँ-ए ताकि उसे इस विवरण में नहीं शामिल किया गाना गाँ-ए।

5. स-कारी आवास समितियों को दिया गया आवास ऋण लॉक I में मद 11 और 13 के अंतर्गत तभी शामिल किया गाना गाँ-ए। कुल सदस्यों में अनुसूचित गाति/अनुसूचित न गाति के सदस्यों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो।

6. ग्रामीण - 10,000 से अधिक तथा 1,00,000 तक की जनसंख्या वाले केंद्र ।

7. मद 23 और 33 पर ‘रायस्तरीय अन्य ए०सियाँ’ के अंतर्गत, उदा-रणार्थ, ग्रामीण / श-री/आवास निगम, स्लम क्लियरेंस गोर्ड, इत्यादि शामिल होंगे ।

8. मद 26 और 36 पर अन्य के अंतर्गत नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, निर्माण कंपनियाँ/फिल्डर, भवन हेतु भूमि विकसित करने वाले शामिल होंगे ।

अनु अंध 2

दिनांक को समाप्त तिमा-टी के दौरान अनुसूचित वाणि यैंको द्वारा

"आवास-वित्त" श्रेणी के अंतर्गत मं और की गयी वित्तीय स-यता

(पैराग्राफ 7.2 देखें)

यैंक का नाम _____

(लाख रुपये)

	(संवितरित आवास वित्त की राशि)					कुल योग (1+2+6)	
	प्रत्यक्ष आवास वित्त की राशि	अप्रत्यक्ष आवास वित्त की राशि	निम्न लिखित के गारंटीकृत /गैर-गारंटीकृत गांडों में निवेश				
			एन ए । टी	-डको	एम ॥ एस*		
	1	2	3	4	5	6	7
पिछली तिमा-टी तक संवितरित कुल आवास-वित्त							
वर्तमान तिमा-टी के दौरान आवास-वित्त का संवितरण							
योग							

- किसी ऐसी स्पेशल पर्फस वे-कल या संस्था द्वारा आरी किए गए दर-निर्धारित प्रतिभूतिकृत ऋण सं अंधी लिखतों को दर्शाता है, गो कि अनुमोदित आवास वित्त कंपनियों (राष्ट्रीय आवास यैंक के पर्यवेक्षणाधीन) द्वारा दिए गये आवास ऋण को दर्शाती है।)

विशेष आवास-वित्त शाखाएँ खोलने के लिए ैंको द्वारा प्रस्तुत किए गए वाले विवरण

(पैराग्राफ 8.3 देखें)

ैंक का नाम _____

(लाख रुपये)

1.	किस केन्द्र पर(नाम) विशेष शाखा खोले गए का प्रस्ताव है, फिलावरा य का नाम भी दें	
2.	अग्रणी ैंक का नाम	
3.	इस समय उस केन्द्र पर/फिले में आवेदक ैंक की कितनी शाखाएँ हैं	
4.	व- क्षेत्र वाणि यक या आवासीय है ?	
5.	उस केन्द्र की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ और निकट भविष्य में उनके विकास की संभावनाएँ	
6.	अलग शाखा खोले गए पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा	
7.	क्या प्रस्तावित शाखा अपने सारे खर्च स्वयं पूरे कर सकती है तथा अर्थक्षम होगी?	

8.	वर्तमान शाखाओं का वर्तमान कारो आर				
		किस तारीख की स्थिति			
		31.03._____ पिछला वर्ष	31.03 _____ वर्तमान वर्ष	आवेदन की तारीख से प-ले का अंतिम शुक्रवार	
	(i) मारांशियाँ - इनमें से आवास ऋण खाता के अंतर्गत । त				
	(क) खातों की सं.				
	(ख) काया राशि				
	(ii) ऋण- इसमें से आवासीय प्रयो जन -तु (स्टाफ ऋण को छोड़कर)				
	(क) खातों की सं.				
	(ख) काया राशि (कुल मं दूर की गयी राशि कोष्ठक में ताएँ)				
9.	उस केन्द्र पर/फाले में अन्य विशेष शाखाओं/संस्थाओं के नाम				
10.	फाले के अंतर्गत आवासीय परियो जाएँ/यो जाएँ				
	(i) राय सरकार/उपक्रम/स्थानीय निकाय				
	(क) कार्यान्वित की आर-यो जाएँ, टेनामेंटों की संख्या सं-त				

	(ख) आठवीं पंक्ति के अंतर्गत तैयार की गयी योजनाएँ, टेनामेंटों की संख्या सि-त	
	(ii) अन्य एसियाँ/संगठन (नाम लिखें)	
	(क) कार्यान्वित की गारंटी योजनाएँ, टेनामेंटों की संख्या सि-त	
	(ख) अनुमानित, टेनामेंटों की संख्या सि-त	
11.	कोई अन्य सूचना इसे लैंक अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में देना गा-	

मास्टर पारिपत्र

आवास वित्त

मास्टर पारिपत्र में समेकित पारिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	बैंपविवि.बीपी.बीसी.92/ 21.01.002/2006-07	03.05.07	रिहाइशी आवास ऋणों पर गोखिम भार
2.	बैंपविवि.डीआइआर.बीसी. 43/ 21.01.002/2006-07	17.11.06	आवास ऋण - दिल्ली उ। न्यायालय के आदेश-कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा भारत के संघ तथा अन्यों के खिलाफ दायर याचिका- निदेशों का कार्यान्वयन
3.	ैंपविवि. गीपी. गीसी.1711/ 08.12.14/2005-06	12.06.06	राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) विनिर्देशों का पालन
4	बैंपविवि. गीपी. गीसी. 84/21.01.002/2005-06	25.05.06	वाणि य स्थावर संपदा के लिए एक्स्पो तर संबंधी गोखिम भार
5.	ैंपविवि. गीपी. गीसी. 65/ 08.12.01/2005-06	01.03.06	स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए बैंकों का एक्स्पो तर
6.	ैंपविवि. गीपी. गीसी. 20/21.01.002/2005-06	26.07.05	वाणि य स्थावर संपदा के लिए एक्स्पो तर संबंधी गोखिम भार
7.	ैंपविवि. गीपी. गीसी. 61/ 21.01.002/2004-05	23.12.04	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - आवास ऋण तथा उपभोक्ता ऋण पर गोखिम भार
8.	ग्राआक्रृति. सं. आयो ना. गीसी. 64/04.09.01/2004-05	15.12.04	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार - विशिष्ट संस्थाओं द्वारा निर्गमित विशेष गांडों में निवेश
9.	ग्राआक्रृति.आयो ना.एफ एस. गीसी. सं. 54/06.11.01/2004-05	26.10.04	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार आवास ऋण उ। तम सीमा में वृद्धि
10.	ैंपविवि. (आईसीएस) सं. 4/03.27.25/2004-05	03.07.04	उधारकर्ता को खरीदी गयी जमीन पर फि स अवधि के भीतर आवास निर्माण करना - वह अवधि निर्धारित करने के लिए औंकों को प्रदान की गयी स्वतंत्रता
11.	औनिक्रृति. सं.14/ 01.01.43/ 2004-05	30.06.04	औद्योगिक निर्यात ऋण विभाग के कार्यों का अन्य विभागों के साथ विलयन

12.	ग्राआक्रृति.आयो ना.एफ एस. पीसी. सं. 92/06.11.01/2002-03	29.04.03	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम आवास के लिए ऋण
13.	ग्राआक्रृति.पीएलएनएफएस बीसी. सं. 30/ 06.11.01/ 2002-03	29.10.02	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम - ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त आवासों की मरम्मत
14.	पैंचिवि.सं. पीपी. पीसी. 106/ 21.01.002/ 2001-02	14.05.02	आवास वित्त तथा धंक समर्थित प्रतिभूतियों पर औखिम भार
15.	ऑनिक्रृति. सं. (आवि) 5/ 03:27:25/99-2000	29.10.99	आवास वित्त - ऋण के आकार में संशोधन
16.	ऑनिक्रृति. सं. (आवि) 12/ 03.27.25/98-99	15.01.99	पुराना मकान खरीदने के लिए प्रत्यक्ष ऋण से संगठित शर्तें
17.	ऑनिक्रृति. सं. (आवि) 40 / 03:27:25/97-98	16.04.98	प्रत्यक्ष आवास ऋण से संगठित शर्तें - मानदंडों की समीक्षा
18.	ऑनिक्रृति. सं. (आवि) 37/ 03:27:25/97-98	27.02.98	अर्द्धवार्षिक आवास वित्त विवरण का प्रस्तुतीकरण दं किया गाना
19.	ऑनिक्रृति. सं. (आवि) 22/ 03:27:25/97-98	06.12.97	आवास वित्त - ऋण के आकार में संशोधन
20.	ऑनिक्रृति. सं. पीएलएनएफएस पीसी.37/06.11.01/97-98	21.10.97	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम - आवास के लिए ऋण
21.	ऑनिक्रृति. सं. 5/ 03.27.25/ 97-98	30.08.97	राष्ट्रीय आवास पैक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए अधिवक्ता आवास-वित्त कंपनियों को पैक वित्त की मात्रा
22.	ऑनिक्रृति. सं. सीएमडी. 8/ 03.27.25/95-96	27.09.95	सरकार द्वारा । टीय स-यता उपल ध करायी गा र-ी परियो नाओं के लिए मीयादी ऋण की मं गुरी का निषेध
23.	ऑनिक्रृति. सं. 1/03.27.25/ 94-95	11.07.94	प्रत्यक्ष आवास वित्त
24.	पैंचिवि. सं. पीएल. पीसी. 132/ सी.168(एम).91	11.06.91	विशेष आवास-वित्त शाखाएँ खोलना
25.	पैंचिवि. सं. पीपी. पीसी. 88/ 60-90	05.04.90	राष्ट्रीय आवास पैक की आवास ऋण खाता यो ना - अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋणों के मो न का निषेध
26.	ऑनिक्रृति. सं. सीएमडी.IV 24/(आ वि-पी)- 89/90	30.03.90	आवास वित्त

27.	ैपविवि. सं. गीपी. 1074/ गीपी. 60-90	23.03.90	आवास-वित्त - विशेष शाखाओं को नामित करना
28.	ैपविवि. सं. गीपी. 1022/ गीपी.60-90	15.03.90	आवास-वित्त - विशेष शाखाओं को नामित करना
29.	ैपविवि. सं. आरईटी. गीसी. 75/सी 96-90	13.02.90	भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियम 1951 - राष्ट्रीय आवास बैंक की आवास ऋण खाता यो ज्ञाना के अंतर्गत स्वीकृत मारांशियों का वर्गीकरण
30.	ऑनिक्रिवि. सं. सीएडी.IV 223/(आ वि-पी)- 88-89	02.11.88	आवास वित्त - आवास -वित्त संस्थाओं के संबंध में गठित अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर संशोधन
31.	ैपविवि.सं.सीएएस. गीसी. 70/ सी. 446 (ए एफ(पी)-81	05.06.81	आवास वित्त - संशोधित दिशानिर्देश (सामान्य)
32.	ैपविवि. सं. सीएएस. गीसी. 71/सी. 446 (आ वि-पी) 79	31.05.79	आवास वित्त -आवास यो ज्ञाना के लिए वित्त प्रदान करने में बैंकिंग प्रणाली की भूमिका की छान गीन करने के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशें